III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/4313

16

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०.

Rs 30/-

निगरानी प्रकरण क्रमांक/ /017

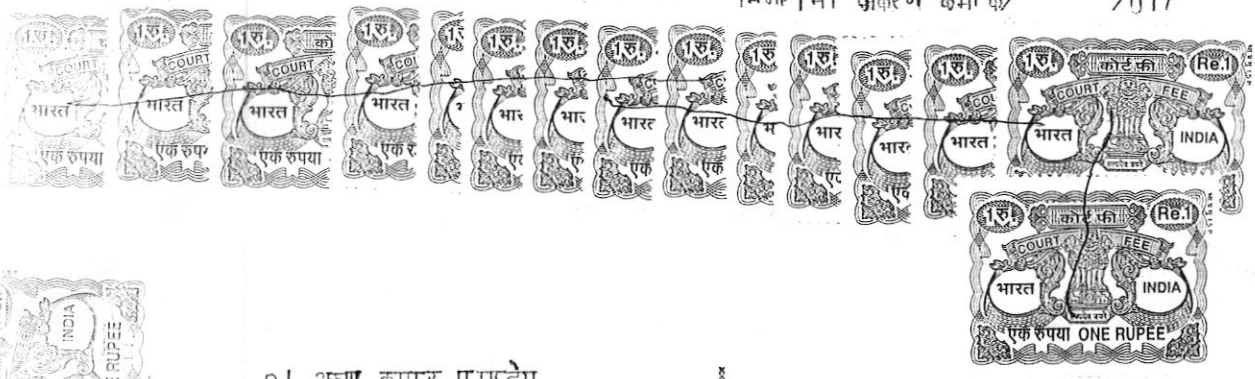

01- अरुण कुमार पाण्डेय
02- लोकनाथ पाण्डेय
03- रमेश कुमार पाण्डेय

- पिसरान स्व० विनय प्रसाद पाण्डेय

सभी निवासीगण ग्राम डिहुआ पूर्व तहसील सिरमौर वर्तमान तहसील मनगवां, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदकगण

बनाम

शासन म०प्र०

--- अनावेदक

अधि०श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पेश/08-11-17

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार मनगवां, आदेश दिनांक 11.09.017 जो प्रकरण क्र0 36/अ-6/15-16 में पारित किया जाकर आवेदकके आवेदन को श्रवणक्षेत्राधिकार के बाहर मानकर कलेक्टर महोदय कोप्रेषित किए जाने बावत् आदेश किया गया है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(01) यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(02) यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सिरमौर द्वाराआवेदकगण केहक मे प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 447 रकबा 7.00ए0 स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4313

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मनगंवा, प्रकरण क्रमांक- 36/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11.09.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/02/2012 के पालन में खसरा न. 447 रकबा 7.00 एकड के अंश भाग 3.04 एकड वादी क्रमांक 1 को 2.00 एकड वादी क्रमांक 2 को 2.00 एकड वादी क्रमांक 3 को नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि स्वामी माना है तथा अनावेदक शासन के विरूद्ध निषेधाज्ञा भी जारी की है। उपरोक्त निर्णय के पालन में आवेदक ने वर्ष 2016 में 109,110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। 3- प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में संलग्न खसरा के अनुसार खसरा क्रमांक 447 आवादी गावंठान के रूप	

में शासकीय दर्ज है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला लोक अभियोजक रीवा एवं कलेक्टर व्यवहार शाखा रीवा को पत्र भी जारी किया गया था। भूमि म0 प्र0 शासन आबादी गांवठान से संबंधित थी, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रकरण मूलत: कलेक्टर महोदय "व्यवहार शाखा" रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: तहसीलदार मनगंवा का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मनगंवा, प्रकरण क्रमांक- 36/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11.09.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य